

अनुमति की शर्तें ।।

- (i) जमीन भवन / मूल्यांकन के निर्माण की स्वीकृति स्वामिण निम्न नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्थायित्व, राजस्वीय, व्यक्तित्वगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन निगम को सूचित करेंगे ।
- (iv) स्वीकृत भवनों को विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्थल सिद्धि केवल आवासीय उपयोग के

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 134 दिनांक 15/07/2019

प्रार्थना जमीनी आयुर्वी खाते की स्वीकृति

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 8334/- जमा है

जरिये रसीद संख्या 9069/5978, 5979

दिनांक 15/07/2019 को जमा करा दी है ।

P.No: 29 अकरा सं 320/149,

सीता राम नगर, बालनी

पाल लीक रोड ग्राम-40

किरीट

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

रुका
अशोक कुमार
9829626523
9799063675